मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 11-2-2011-नियम-चार भोपाल, दिनांक 31 मई 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों से बकाया वसूली के संबंध में किश्तों का निर्धारण.

राज्य शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय मामलों में शासकीय सेवकों से वसूली योग्य राशि इस कारण लंबित बनी रहती है क्योंकि सक्षम अधिकारी के द्वारा देय किश्तों की संख्या एवं किश्त की राशि की गणना के आदेश नहीं दिए गए हैं. इसके कारण जहां एक ओर राज्य के कोष में राशि विलंब से जमा होती है वहीं दूसरी ओर शासकीय सेवक के सेवा निवृत्ति लाभ आदि के भुगतान में विलंब होता है. अतः शासन को देय राशि की वसूली के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :—

(i) शासन की समस्त वसूली योग्य राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी. ब्याज की राशि की गणना सामान्य भविष्य निधि की भांति प्रत्येक वर्ष के अन्त में Compounding करते हुये की जावेगी. ब्याज की गणना शासन को पहुंची हानि की तिथि से प्रारम्भ होकर वसूली की अंतिम किश्त के भुगतान के दिनांक तक की जाएगी.

(ii) शासकीय बकाया की वसूली देय राशि के निर्धारण के तत्काल पश्चात् के मासिक वेतन के बिल से सकल वेतन (Basic Pay+Grade Pay + D. A.) के 1/3 भाग की दर से स्वतः शुरू हो जाएगी एवं तब तक जारी रहेगी, जब तक ब्याज सहित पूर्ण राशि की वसूली नहीं हो जाती. शासकीय सेवक पर ब्याज का भार कम करने के उद्देश्य से शासकीय सेवक को देय अन्य स्वत्व जैसे वेतन/भत्तों के एरियर्स, मानदेय आदि से भी बकाया की वसूली की जानी चाहिए. कार्यालय प्रमुख के लिये यह आवश्यक होगा कि वसूली की राशि के निर्धारण के पश्चात् 10 दिन की समयावधि में शासकीय सेवक से वसूली के आदेश जारी करें.

(iii) बकाया की वसूली इस आधार पर स्थगित नहीं की जाना चाहिए कि संबंधित शासकीय सेवक के द्वारा इस संबंध में सक्षम अधिकारी को अपील की गई है, जो अभी निर्णय हेतु लंबित है. जब तक ऐसी किसी कार्यवाही में वसूली पर स्थगन आदेश नहीं हो, वसूली कंडिका (2) में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जारी रहेगी.

(iv) शासकीय सेवक से शासकीय बकाया एवं ब्याज की वसूली के लिये कार्यालय प्रमुख, जिन कार्यालयों में संबंधित शासकीय सेवक कार्यरत हैं, पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे. यदि उपरोक्त निर्देशों के पालन में लापरवाही की जाती है, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख से वसूली में हुए विलंब की अवधि के लिये वसूली योग्य राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी. ब्याज की राशि की गणना सामान्य भविष्य निधि की भांति प्रत्येक वर्ष के अन्त में Compounding करते हुये की जावेगी.

(v) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक की बकाया के लिये बाह्य नियोक्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे. ऐसे शासकीय सेवक जिनसे शासकीय बकाया की वसूली हो रही है, को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करते

समय संबंधित शासकीय सेवक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी का दायित्व होगा कि वह इस वसूली की सम्पूर्ण जानकारी बाह्य नियोक्ता को दें

(vi) यदि वसूली की किश्तों की पूर्ण वसूली के पूर्व ही शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाती है, तो शेष राशि उसके परिवार को देय स्वत्वों से वसूली योग्य होगी. यदि ऐसे शासकीय सेवक द्वारा सेवा से त्यागपत्र दिया जाता है, तो त्यागपत्र स्वीकृत करने के पूर्व इस पर देय बकाया राशि (पूर्ण ब्याज सहित) वसूली की जाएगी. शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के मामलों में बकाया राशि की वसूली पेन्शनरी लाभों से की जाएगी.

(vii) उपरोक्त आदेश सक्षम अधिकारियों द्वारा आदेशित वसूली योग्य राशियों के अतिरिक्त ऐसे सभी अग्रिम पर भी लागू होंगे जिनका समायोजन उक्त अग्रिम के उपयोग हेतु निर्धारित समयावधि में नहीं हो पाता है. ऐसे समस्त अग्रिमों का जिनके लिये कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं है, राशि के आहरण की तिथि के 3 माह की अवधि में समायोजित करना आवश्यक होगा एवं उसके उपरान्त उक्त राशि इस ज्ञापन के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि में शामिल मानते हुये वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी.

2. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता/-
(जी. पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.